

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 492] नई दिल्ली, शनिवार, नवम्बर 4, 1978/कार्तिक 13, 1900
No. 492] NEW DELHI, SATURDAY, NOVEMBER 4, 1978/KARTIKA 13, 1900

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में
रखा जा सके।

Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate
compilation.

वाणिज्य नागरिक आपूर्ति एवं सहकारिता मंत्रालय

(वाणिज्य विभाग)

आदेश

नई दिल्ली, 4 नवम्बर, 1978

निर्यात व्यापार नियंत्रण

सं० ई(सी)ओ. 1977/एएम(78).—आयात-निर्यात (नियंत्रण) अधिनियम, 1947
(1947 का 18) के खण्ड 3 द्वारा प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग कर केन्द्रीय सरकार इसके
द्वारा निर्यात (नियंत्रण) आदेश, 1977 में आगे और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित
आदेश का निर्माण करती है, अर्थात्:—

1. इस आदेश को निर्यात (नियंत्रण) 42वां संशोधन आदेश, 1978 की संज्ञा दी जाए।

2. निर्यात (नियंत्रण) आदेश, 1977 की अनुसूची 3 में खूले सामान्य लाइसेंस-3 में क्रम सं० 63 के पश्चात् निम्नलिखित को जोड़ा जाएगा :—

1	2	3	4
64.	जीवित भैंसें अर्थात् मादा भैंसें (केवल निरुपष्ट) और तर भैंसें जो प्रजनन और कर्षण के लिए प्रयुक्त नहीं होते हैं ।	ख-2	जीवित भार में एवं यथा उल्लिखित अन्य शर्तों के अनुसार प्रति किलोग्राम 3 रु० 50 पैसे न्यूनतम निर्यात मूल्य (जहाज पर निःशुल्क) पर निर्यात की अनुमति 31-3-79 तक दी जाएगी ।

को० बें० शेषाद्री, मुख्य नियंत्रक, आयात-निर्यात

MINISTRY OF COMMERCE, CIVIL SUPPLIES & CO-OPERATION

(Department of Commerce)

ORDER

New Delhi, the 4th November, 1978

EXPORT TRADE CONTROL

No. E(C)O. 1977/AM(76) :-In exercise of the powers conferred by Section 3 of the Imports & Exports (Control) Act, 1947, (18 of 1947), the Central Government hereby makes the following Order further to amend the Exports (Control) Order, 1977, namely :—

1. This Order may be called the Exports (Control) Forty-second Amendment Order, 1978.
2. In the Exports (Control) Order, 1977, in Schedule III in OGL-3, the following item shall be added after S.No.63 :—

1	2	3	4
64.	Live Buffaloes i.e. Female buffaloes (only culls) and male buffaloes not used for breeding and draught purposes.	B.2	Export allowed upto 31-3-79 subject to minimum export price (F.O.B.) of Rs.3.50 per kg. of live weight and other conditions as may be laid down.

K.V. SESHADRI

Chief Controller of Imports & Exports